अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक–प्र०–6/विविध–164/2010– 5595 (E) /पटना, दिनांक 5/10/17

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)।
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)।
पथ निर्माण विभाग
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)।
पथ निर्माण विभाग

विषय :– अन्य विभागों के संवेदकों को कालीसूची में डाले जाने/मुक्त किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा निम्न संवेदकों के निबंधन को काली सूची में डाले जाने/मुक्त किये जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है :–

क्र० सं०	संवेदक का नाम/ निबंधन संख्या	विभाग का नाम	ज्ञापांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1.	एन०सी०सी० लिमिटेड, निदेशक–श्री ए०बी० रंगा राजू मुहल्ला–प्लॉट नं०–168ए0, रोड नं०–10, जूबली हिल्स, जिला–हैदराबाद पिन–500034	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक–3302 दिनांक–06.09.2017 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक से कारण–पृच्छा के जबाव पर निर्णय होने तक कालीकरण आदेश ज्ञापांक–2714 दि0–18.07.17 को स्थगित रखा गया।
2.	मेसर्स श्यामा बिल्डकॉन प्रा0 लि0, निदेशक–श्री विपीन राय, ग्राम–दुमदुमा, पो0–करमहरी, जिला–कैमूर पिन–820119, नि0 सं0–54/2011 प्रथम श्रेणी	जल संसाधन विभाग	पत्रांक–3249, दिनांक–04.09.2017 (छायाप्रति संलग्न)	पूर्व के आदेश ज्ञापांक–1249 दि0–23.03.2017 द्वारा निर्गत आदेश को विलोपित करते हुए निलंबन सूची से मुक्त किया गया।
3.	मेसर्स बी0के0 इन्टरप्राईजेज, ग्राम–धनपुरा, पो0+थाना–आरा नगर, जिला–आरा (भोजपुर) नि0 सं0–प्रथम (फर्म)–02 (भवन)/2008	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक–8009, दिनांक–06.09.2017 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को 10 वर्षों के लिए काली सूची में डाला गया।
4.	तुफैल अहमद खान, पिता–स्व0 सफी अहमद खान, मोहल्ला–बेलवनवा, पो0+थाना–मोतिहारी नगर, जिला–पूर्वी चम्पारण, पिन–845401 नि0 सं0–तृतीय (व्यक्तिगत)–313 (भवन)/2016	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक–7974, दिनांक–05.09.2017 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को 10 वर्षों के लिए काली सूची में डाला गया।
5	श्री इन्द्र नारायण सिंह कॉन्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड, 76 विधायक कॉलनी, कौटिल्य नगर, पटना नि0 सं0–प्रथम (कम्पनी)–10 (भवन)/2011	भवन निर्माण विभाग	पत्रांक–7975, दिनांक–05.09.2017 (छायाप्रति संलग्न)	संवेदक के निबंधन को दि0–26.05.17 के प्रभाव से एक वर्ष के लिए निलंबित किया गया।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

3/10/17

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

5.10.17

D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\SUJEET KUMAR\BLACK LISTING DRAFT.DOCX

ज्ञापांक–प्र०–6 / विविध–164 / 2010– 5595(E)we / पटना, दिनांक 5/10/17

प्रतिलिपि :–अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) / कार्यपालक अभियता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को अनुलग्नक एवं CD सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु०:–यथोक्त।

3/10/17
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

सुजीत

D:\NEHA SINHA\2012 KA NEW FOLDER\SUJEET KUMAR\BLACK LISTING DRAFT.DOCX

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आ0 सं0–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–06–डीबार/कालीकृत–01/2016 198 पटना, दिनांक– 05.9.17

कार्यालय आदेश

संवेदक, श्री इन्द्र नारायण सिंह कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, 76 विधायक कॉलनी, कौटिल्य नगर, पटना जिनका निबंधन संख्या–प्रथम (कम्पनी)–10(भवन)/2011 के द्वारा 150 शैय्या वाले सदर अस्पताल भवन, सुपौल (फेज–2) ब्लॉक डी0एफ0जी0एच0आई0 के निर्माण कार्य (विद्युत कार्य सहित) में अपलोड किये गये निविदा कागजातों की जाँच की गयी है। जिसमें आपके द्वारा अपलोडेड मोहन इंजिनियरिंग कारपोरेशन, हिन्डन बिहार, गाजियाबाद का कागज गलत पाया गया।

विभागीय निविदा समिति की दिनांक 21.06.2016 को हुयी बैठक में लिये गये निर्णयानुसार उक्त संवेदक के विरूद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के प्रावधानों के तहत नियमानुकुल कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है। दिनांक 23.09.2016 को निलंबन/कालीकरण सूची में डालने के निमित्त सम्पन्न बैठक में संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक–10298(भ), दिनांक 20.10.2016 द्वारा आपसे स्पष्टीकरण पूछा गया, स्पष्टीकरण का जवाब नहीं प्राप्त होने की स्थिति में पुनः पत्रांक–11345(भ), दिनांक–24.11.2016 द्वारा स्मारित किया गया। इसके बावजूद स्पष्टीकरण का जवाब कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ। पुनः उनके द्वारा निलंबन से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–21.08.2017 को कालीकरण/निलंबन के संबंध में बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक के तदावलोक में श्री इन्द्र नारायण सिंह कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, 76, विधायक कॉलनी, कौटिल्य नगर, पटना जिनका निबंधन संख्या–प्रथम (कम्पनी)–10(भवन)/2011 को दिनांक 26.05.2017 के प्रभाव से एक वर्ष के लिए निलंबित किया जाता है।

ह0/-

–(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 7975 (भ) पटना, दिनांकः– 05.9.17

प्रतिलिपिः– संवेदक, श्री इन्द्र नारायण सिंह कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, 76 विधायक कॉलनी, कौटिल्य नगर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

–अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 7975 (भ) पटना, दिनांकः– 05.9.17

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

–अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 7975 (भ) पटना, दिनांकः– 05.9.17

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आ० सं०–भवन–13 / अभि०प्र०(नि०)–02–विविध–01 / 2017....197.... पटना, दिनांक–....5/9/17

कार्यालय आदेश

संवेदक, तुफैल अहमद खान, पिता–स्व० सफी अहमद खान, मोहल्ला–बेलवनवा, पो0+थाना–मोतिहारी नगर, जिला–पूर्वी चम्पारण, पिन–845401 जिनका निबंधन संख्या–तृतीय(व्यक्तिगत)–313(भवन) / 2016 के द्वारा दिनांक–16.02.2017 को कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मोतिहारी के साथ अभद्र व्यवहार धमकी देने एवं असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर प्रमंडल के कर्मियों पर हमला कर मारपीट करने तथा सरकारी कागजातों को नष्ट करने का प्रयास किया गया। उक्त कृत्य के आलोक में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल मोतिहारी के पत्रांक–394, दिनांक–02.03.2017 एवं अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल मोतिहारी के पत्रांक-224अनु0, दिनांक-25.03.2017 द्वारा संवेदक, तुफैल अहमद खान, पिता–स्व0 सफी अहमद खान के निबंधन संख्या– तृतीय(व्यक्तिगत)– 313(भवन) / 2016 को काली सूची में डालने की अनुशंसा की गयी।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–21.08.2017 को कालीकृत / निलंबन के संबंध में बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में संवेदक द्वारा दिनांक–23.06.2017 को दिए गये स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुये निबंधन संख्या–तृतीय(व्यक्तिगत)–313(भवन) / 2016 को तत्काल प्रभाव से 10 (दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

—(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 7974 (अ) पटना, दिनांकः– 5/9/17

प्रतिलिपिः– संवेदक, तुफैल अहमद खान, पिता–स्व0 सफी अहमद खान, मोहल्ला–बेलवनवा, पो0+थाना–मोतिहारी नगर, जिला–पूर्वी चम्पारण, पिन–845401 को सूचनार्थ प्रेषित।

— अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 7974 (अ) पटना, दिनांकः– 5/9/17

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग / पथ निर्माण विभाग / जल संसाधन विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / नगर विकास विभाग / उर्जा विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग / मुख्य अभियंता, योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

— अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांकः– 7974 (अ) पटना, दिनांकः– 5/9/17

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

पत्रांकः–भवन/अभि0प्र0 (यो0)–07–निबंधन–228/2008........8009/(ब) दिनांक 6.9.17

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

मेसर्स बी0 के0 इन्टरप्राइजेज ग्राम–धनपुरा, पो0+था0–आरा नगर, जिला–आरा (भोजपुर), बिहार निबंधन सं0–प्रथम(फर्म)–02(भवन)/2008 को आरा समाहरणालय भवन निर्माण कार्य को मंथर गति से करने एवं आपराधिक मामले में गिरफ्तारी होने के कारण कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल आरा के पत्रांक–1423 दिनांक–11.11.2013 द्वारा कोर्ट परिसर अन्तर्गत 10 कोर्ट भवन/बाजार समिति में 1000 एम0 टी0 अनाज गोदाम एवं नया आरा समाहरणालय भवन के निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं करने एवं पूर्ण करने की तत्परता नहीं दिखाने के फलस्वरूप विभागीय ज्ञापांक–895 दिनांक–28.01.2014 द्वारा डिबार करने के कार्यपालक अभियंता के आदेश को सम्पुष्ट करते हुये संवेदक के निबंधन को कालीकृत करने की कार्रवाई करने हेतु स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया।

तदुपरान्त विभागीय पत्रांक–9599 दिनांक–10.09.2014 एवं पत्रांक–10869 दिनांक–16.10.2014 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की माँग की गई, अनुपालन में मेसर्स बी0 के0 इन्टरप्राइजेज द्वारा अपने पत्रांक–151 दिनांक–27.10.2014 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि आरा समाहरणालय का निर्माण कार्य पुराने भवन को तोड़कर किया जाना था एवं पुराने भवन को तोड़ने पर जिला समाहरणालय आरा के स्थापना शाखा के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बिना जिला पदाधिकारी के पूर्वानुमति के नहीं तोड़ने का आदेश देने का उल्लेख किया गया है तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि अब तक के निर्माण कार्य का जो मुझे भुगतान किया गया है वह प्राक्कलन के आधार पर किया गया है जब कि निर्माण कार्य डिजाइन के अनुसार करना पड़ा है। मुझे कार्य स्थल पूर्ण रूप से आज तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इसी बीच विभाग के द्वारा आरा भवन प्रमण्डल के मूल निर्माण कार्य की जाँच करने का निदेश अधीक्षण अभियंता पटना भवन अंचल को दिया गया। अधीक्षण अभियंता पटना भवन अंचल पटना ने अपने पत्रांक–837 दिनांक–24.04.2015 द्वारा समाहरणालय भवन निर्माण कार्य एवं 10 कोर्ट भवन आरा के निर्माण कार्य से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें बिना कार्य कराये ₹1,47,49,779/– (एक करोड़ सैंतालिस लाख उनचास हजार सात सौ उन्नासी) एवं ₹29,67,866/–(उन्तीस लाख सरसठ हजार आठ सौ छियासठ) का अधिक भुगतान मेसर्स बी0 के0 इन्टरप्राइजेज को किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर वाद सं0–6773/2014 में दिनांक–20.01.2016 को पारित न्यायादेश एवं विभागीय अधिवक्ता से परामर्श प्राप्त किया गया। तत्पश्चात विभागीय समीक्षात्मक बैठक में भवन प्रमण्डल जहानाबाद अन्तर्गत प्रखण्ड सह अंचल सह आवासीय भवन निर्माण कार्य हुलासगंज प्रखण्ड जहानाबाद के कार्य में अभिरूचि नहीं लेने एवं निर्माण कार्य नहीं कराने एवं इसके अलावे भवन प्रमण्डल आरा अन्तर्गत गड़हनी प्रखण्ड एवं अगियाँव प्रखण्ड अन्तर्गत कर्मचारी आवास एवं परिसर विकास कार्य नहीं किये जाने के कारण विभाग को अलग से वित्तीय क्षति होने की संभावना बन गई है। उपर्युक्त क्रम में विभागीय समिति द्वारा दिनांक–25.02.2016 को संवेदक के स्पष्टीकरण पर अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना तथा सभी कागजातों के आधार पर समीक्षा की गई है। समीक्षोपरान्त पाया गया कि संवेदक द्वारा किया गया कार्य बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधानों के विरूद्ध है। अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक–21.08.2017 को कालीकृत/निलंबन के संबंध में बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में मेसर्स बी0के0 इन्टरप्राइजेज ग्राम–धनपुरा पो0+थाना–आरा नगर जिला–आरा (भोजपुर) निबंधन सं0–प्रथम(फर्म)–02(भवन)/2008 को तत्काल प्रभाव से 10(दस) वर्षों के लिए काली सूची में डालने का निर्णय लिया गया।

अतः बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11(क) (ii) में विहित प्रावधान के अनुरूप मेसर्स बी0 के0 इन्टरप्राइजेज ग्राम–धनपुरा, पो0+थाना–आरा नगर, जिला–आरा(भोजपुर) निबंधन सं0–प्रथम(फर्म)–02(भवन)/2008 को तत्काल प्रभाव से 10(दस) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

ह0/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– भवन/अभि0प्र0 (यो0)–07–निबंधन–228/2008........8009 (अ) पटना, दिनांक–....6.9.17 (437)

प्रतिलिपिः–मेसर्स बी0 के0 इन्टरप्राइजेज ग्राम–धनपुरा, पो0+था0–आरा नगर, जिला–आरा (भोजपुर) बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

5/9/17

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– भवन/अभि0प्र0 (यो0)–07–निबंधन–228/2008........8009 (अ) पटना, दिनांक–....6.9.17

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/9/17

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– भवन/अभि0प्र0 (यो0)–07–निबंधन–228/2008........8009 (अ) पटना, दिनांक–....6.9.17

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल आरा एवं जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आप अपने स्तर से उक्त संवदेक के विरूद्ध नियमावली 2007 के अनुरूप समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

5/9/17

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– भवन/अभि0प्र0 (यो0)–07–निबंधन–228/2008........8009 (अ) पटना, दिनांक–....6.9.17

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/9/17

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

5.9.17

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।

पत्र संख्या 11/मु0 – 05–03/2016 3249 दिनांक 04.9.2017

आदेश

तत्कालीन मुख्य अभियंता, डिहरी सम्प्रति मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, डिहरी परिक्षेत्राधीन डिहरी प्रमंडल, डिहरी अतर्गत गोड़सरा वितरणी के पुनर्स्थापन एवं सेवा पथ का पक्कीकरण कार्य की निविदा में संवेदक श्यामा बिल्डकॉन प्रा0 लि0, निदेशक – श्री विपीन राय, ग्राम – दुमदुमा, पो0 – करमहरी, जिला – कैमूर द्वारा जाली/फर्जी कार्यानुभव प्रमाण समर्पित किए जाने के आरोप में इनके निबंधन संख्या – 54/2011 (प्रथम श्रेणी) को आदेश ज्ञापांक 4291 दिनांक 05.08.2016 द्वारा 10 वर्षो के लिए काली सूची में डाला गया।

इसके विरुद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.- 16044/2016 किया गया। दिनांक 23.02.2017 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा मामले में दायर CWJC No.- 16044/2016 के मामले में दिनांक 23.02.2017 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में कालीकरण आदेश को अवक्रमित करते हुए इनके निबंधन संख्या – 54/2011 (श्रेणी प्रथम) को विभागीय आदेश ज्ञापांक – 1249 दिनांक 23.03.2017 द्वारा एक वर्ष के लिए निलम्बित किया गया। जिसकी निलंबन अवधि दिनांक 04.08.2017 को पूरा हो गया है।

अतः मेसर्स श्यामा बिल्डकॉन प्रा0 लि0, निदेशक – श्री विपीन राय, ग्राम – दुमदुमा, पो0 – करमहरी, जिला – कैमूर को निबंधन संख्या – 54/2011 (प्रथम श्रेणी) आदेश ज्ञापांक – 1249 दिनांक 23.03.2017 द्वारा निर्गत आदेश को विलोपित करते हुए, निलंबन सूची से मुक्त किया जाता है।

(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,

ज्ञापांक : 3249 /पटना, दिनांक : 04.9.2017

प्रतिलिपि : मेसर्स श्यामा बिल्डकॉन प्रा0 लि0, निदेशक –श्री विपीन राय, ग्राम– दुमदुमा, पो0 – करमहरी, जिला – कैमूर पिन कोड – 821119 को सूचनार्थ प्रेषित।

(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,

ज्ञापांक : 3249 /पटना, दिनांक : 04.9.2017

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण यो0 एवं मो0, अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0, अंचल –2,3,4, पटना/निदेशक, क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन, जल संसाधन विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना एवं आई0टी0मैनेजर को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(राम पुकार रंजन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय,